



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25878

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3582/2026

अनुज कुमार सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

पक्षकार

आवेदक पक्षकार के अधिवक्ता

: सुधांशु कुमार सिंह

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह आवेदक की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन है। उसका प्रथम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर दिनांक 05.08.2025 को पारित आदेश के माध्यम से, आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1296 / 2025 में, निरस्त कर दिया गया था। यद्यपि सूचनाकर्ता ने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में आवेदक के विरुद्ध धन के गबन का स्पष्ट आरोप लगाया था, किन्तु प्रथम जमानत आवेदन के निरस्त होने के पश्चात सूचनाकर्ता विचारण के दौरान पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में उपस्थित हुआ, जिसने अपने जिरह में आवेदक के विरुद्ध गबन का कोई आरोप नहीं लगाया और अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं किया। उक्त

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- बयान की प्रति जमानत आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र के अनुलग्नक-7 के रूप में संलग्न है। अतः यह तर्क दिया गया कि अभियोजन द्वारा अपने मामले को संदेह से परे सिद्ध करने की संभावना अत्यंत क्षीण है और आवेदक के दोषसिद्ध होने की संभावना भी कम है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की असत्यता दर्शाने हेतु अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। अधिवक्ता के अनुसार, वे परिस्थितियां भी बताई गईं, जिनके कारण, अभियुक्त को झूठा फंसाया गया। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया कि वह विधि की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यक होगा न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाले सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक दिनांक 30.09.2024 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
3. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत आवेदन का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि विचारण की समाप्ति से पूर्व आवेदक की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः वह किसी प्रकार की राहत का अधिकारी नहीं है। तथापि, उन्होंने इस तथ्य का खंडन नहीं किया कि विचारण के दौरान सूचनाकर्ता ने अपने प्रति परीक्षण में अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है।
4. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति तथा अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह जमानत प्रदान करने हेतु उपयुक्त मामला है। अतः जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
5. अतः आवेदक—अनुज कुमार सिंह को मुकदमा अपराध संख्या 356 / 2023, धारा 409, 504 भारतीय दंड संहिता, थाना बांसडीह, जनपद बलिया में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो स्थानीय

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या प्रताड़ित नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह आरोपित है या जिसके करने का संदेह है।
 - v) आवेदक किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से विरत हो जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।
6. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 5 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”